

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—121/2020 (2020/00222) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरू पिता गोकल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1—रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—भंवरी पत्नि मथरालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—भंवरलाल पिता भारू कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिस्थित

1. जाकिर हुसैन -
2. अम्बालाल कुमावत -

अधिवक्ता प्रार्थी

अधिवक्ता विपक्षीगण

दिनांक:—03.03.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व ग्राम धूलखेड़ा पटवार मण्डल बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त साबिक आराजी 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि साबिक नक्शे में तरमीम नही होकर मूल नम्बर 740 में ही तरमीम था इसी मूल नम्बर 740 में विपक्षी संख्या 1 से 3 की साबिक आराजी संख्या 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी जो साबिक नक्शे में तरमीम नही थी। प्रार्थी की भूमि मौके पर उत्तरी दिशा में रास्ते से लगती हुई थी तथा विपक्षी 1 से 3 की भूमि दक्षिण में स्थित थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा गांव की आबादी भूमि व रास्ते के पास स्थित होने से प्रार्थी अपनी आराजी पर मकान व बाड़ा बना रखा है जिस पर निवास करने लग गये जिससे प्रार्थी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा मे से 8 बिस्वा भूमि पर मकान व बाड़ा होने से तहसीलदार साहब रायपुर के यहां नियमन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा 13.06.1989 को नियमन आदेश जारी किया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 12.04.1990 में जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी रोटेशन तैयार करते समय प्रार्थी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा को जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम ही दर्ज रखनी थी परन्तु बिना किसी विधिक आदेश अपनी मनमर्जी से उक्त भूमि में से 8 बिस्वा भूमि सरकारी खाते में तथा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी जो अवैध होकर गलत है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 740/1 पर मौके पर रास्ते से लगती हुई भूमि पर काबिज है परन्तु साबिक नक्शे में आराजी संख्या 740/1 व 740/2 की कोई तरमीम नही थी प्रार्थी साबिक नक्शे में दर्ज मूल नम्बर 740 की उत्तरी दिशा में काबिज है तथा मौके पर मकान व बाड़ा बना हुआ ग्राम धूलखेड़ा का भू प्रबन्ध से प्रार्थी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 1342 रकबा 0.0 तथा प्रार्थी के कब्जेशुदा आराजी 740/1 रकबा 8 बिस्वा के नवीन नम्बर ग्राम धूलखेड़ा की आबादी भूमि



मिलाते हुए आराजी संख्या 1335 रकबा 2.41 है. को बिलानाम खाते में दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी की कब्जे शुदा आराजी के स्थान विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 है0 व 1353 रकबा 0.14 है0 को नवीन नक्शे में तरमीम कर दिया तथा प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा भूमि को नवीन नक्शे व जमाबन्दी से गायब कर दिया गया है। प्रार्थी की आबादी भूमि का रकबा 0.09 है0 भूमि को नवीन ग्राम पंचायत की आबादी के खसरा नम्बर 1335 में सम्मिलित करते हुए आबादी का कुल रकबा 2.41 है0 दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी की आबादी भूमि का रकबा 0.09 है0 है जिसको अलग करते हुए नवीन आराजी संख्या 1335/1 रकबा 0.09 है0 कायम करते हुए प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर आराजी संख्या 1343 के उत्तरी तरफ नक्शे में तरमीम कराते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज करने तथा आराजी संख्या 1342 का रकबा 0.02 है0 भूमि तरमीम करने और आराजी संख्या 1343 व 1353 का रकबा 0.29 है0 को मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी संख्या 1342 रकबा 0.02 है0 को विपक्षी संख्या 4 को विक्रय कर दी जिस पर विपक्षी का मकान बना हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि आराजियात रकबा 0.09 हेक्ट भूमि जिस पर प्रार्थी के मकान एवं बाड़ा बना हुआ है जिसे नियमन करने के बाद अवैध रूप से सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया तथा भुप्रबंध के बाद प्रार्थी की भूमि का नम्बर व रकबा गांव की आबादी भूमि में मिला देने तथा प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि रकबा 0:09 हैक्ट पर विपक्षी संख्या एक से तीन की भूमि आ.सं. 1343 को दर्ज कर देने से विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी को उसके मकान एवं बाड़ा से जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज हैं तथा उस पर उसका मकान व बाड़ा बना हुआ है परंतु सेटलमेन्ट के बाद व रोटेशन में जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी की भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर देने से तथा मौके पर प्रार्थी के मकान व बाड़ा की जगह पर विपक्षीगण की आ.सं. 1343 का रकबा नवीन नक्शे में दर्ज कर देने से विपक्षीगण प्रार्थी को उसके कब्जे काशत की भूमि से बेदखल कर अन्य को रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन अर्थ में नहीं किया जा सकेगा तथा प्रार्थी को भारी असुविधा होगी जिससे प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थी विरुद्ध विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर जारी फरमाई जाए कि प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि जिस पर प्रार्थी का मकान व बाड़ा बना हुआ है जो आराजी संख्या 1343 में उत्तरी दिशा में मौके पर स्थित है प्रार्थी के उक्त हिस्से में उपयोग उपभोग व काशत करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे व वादग्रस्त आराजी संख्या 1343 को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस व किसी भी तरह से अन्तरित नही करे, विपक्षी संख्या 5 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा विपक्षी संख्या 5 के यहां उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 05.10.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की

ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कुलिया तथ्य जिस प्रकार अंकित किये है। जवाबदाता विपक्षीगण को स्वीकार नहीं है। सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के साबिक आराजी संख्या 740/1 एवं विपक्षीगण के साबिक आराजी संख्या 740/2 का मूल खसरा 740 होकर रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ही है। जिसमें से प्रार्थी ने 08 बिस्वा को आबादी में रूपान्तरण करवा लिया एवं शेष रकबा 740/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा शेष रहा है जो राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज है एवं साबिक नक्शे में भी तरमीम है। प्रार्थी का साबिक आराजी संख्या 740/1 रास्ते के पास उत्तरी दिशा में न तो रास्ते की आराजी अंकित की है न रास्ते का रकबा बताया गया है। राजस्व रिकार्ड में भी रास्ता अंकित नहीं है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजी के मध्य मौके पर रास्ता कायम कर रखा है। जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 व सम्वत् 2044 से 2047 का रिकार्ड प्रार्थी ने पेश किया है। जिसमे मूल आराजी संख्या 740 का पूरा रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया है। मूल आराजी संख्या 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2030 में अंकित है, जो जवाब के साथ पेश है। प्रार्थी ने आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा गलत अंकित किया है। जबकि मूल साबिक आराजी संख्या 740 में से प्रार्थी के हिस्से में मात्र 08 बिस्वा आराजी ही आनी चाहिए थी राजस्व रिकार्ड में 10 बिस्वा गलत दर्ज कर दी थी। मौके पर भी 08 बिस्वा ही प्रार्थी के पास थी, जिसे आबादी में दर्ज करा लिया, शेष कोई भूमि प्रार्थी की विपक्षीगण के पास नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में यह स्वीकार किया है कि 08 बिस्वा पर मकान व बाड़ा का निर्माण कर लिया है एवं आराजी संख्या 740/1 को तहसीलदार रायपुर से कृषि से अकृषि करा नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 12.04.1990 को निर्णीत कर जमाबन्दी में अमलदरामद करा दिया गया जो प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र भी पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने जानबुझकर मूल आराजी संख्या 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का उल्लेख प्रार्थनापत्र में नहीं कर न्यायालय को गुमराह कर तथ्य छिपाये गये हैं। जबकि प्रार्थी ने केवल साबिक आराजी संख्या 740/1 का बढ़-चढ़कर उल्लेख किया है। आराजी संख्या 740/1 एवं आराजी संख्या 740/2 मूल रकबा 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा से कायम किये गये। प्रार्थी के नाम आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हुआ है। जबकि आराजी संख्या 740/1 का रकबा मात्र 08 बिस्वा ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिए था। आराजी संख्या 740/1 रकबा 08 बिस्वा को ही प्रार्थी ने आबादी में दर्ज करा लिया तो प्रार्थी साबिक नक्शे में तरमीम कैसे करा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहा है। आबादी भूमि के विवाद का निस्तारण मात्र सिविल न्यायालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रार्थी की आराजी वर्तमान में आबादी भूमि है। प्रार्थी अनुतोष हेतु सिविल उपचार ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को आदेश 07 नियम 11 (3) जा०दी० के तहत खारीज किया जावे। प्रार्थी की आराजी संख्या 740/1 के नवीन आराजी संख्या 1342 रकबा 0.02 हैक्टर भी गलत कायम हुए है। उक्त आराजी पर रास्ता है एवं प्रार्थी के पास मात्र आराजी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा ही थी लेकिन राजस्व रेकार्ड में रकबा 10 बिस्वा गलत दर्ज रेकार्ड थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 740 का मूल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज

रेकार्ड है तत्पश्चात् उक्त मूल साबिक आराजी संख्या 740 के दो रकबे कायम किये गये कमशः 740/1 व 740/2 कायम किये गये जिसमें से आराजी संख्या 740/1 प्रार्थी के हिस्से में रकबा 8 बिस्वा जिसे प्रार्थी ने सन् 1990 में आबादी में समपरिवर्तन करा नामान्तकरण करवा लिया एवं इसी आराजी में से 2 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 4 को विक्रय कर दी अब प्रार्थी के खाते में कोई भूमि अवशेष नहीं है। प्रार्थी का वाद मियाद बाहर एवं आबादी भूमि से सम्बन्धित है जिससे प्रार्थी राजस्व वाद नहीं ला सकता है। प्रार्थी को अपने विवाद का निस्तारण कराने के लिये सिविल उपचार प्राप्त है। प्रार्थी न तो खातेदार है न वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण का जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारीज फरमाया जावे।

#### प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई -

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादी के नाम ग्राम धूलखेड़ा की विवादित आराजी संख्या 740/1 का रकबा 10 बिस्वा था जिसके साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी रोटेशन 2044 से 2047 के खाता नम्बर 139 की नकल पेश की गई जिसमें वादी के नाम 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजी में से वादी के द्वारा 8 बिस्वा भूमि को आबादी में समपरिवर्तन करायी गई जिस पर समपरिवर्तित भूमि जरिये नामान्तकरण 440 के 8 बिस्वा भूमि की किस्म आबादी एवं शेष 2 बिस्वा भूमि की किस्म यथावत भूरे.गो. रखते हुए नामान्तकरण स्वीकृत किया गया किन्तु आगामी रोटेशन जमाबन्दी 2048 से 2052 में वादी की स्वामित्व की 8 बिस्वा समपरिवर्तित भूमि को बिलानाम के खाते में आबादी के रूप में दर्ज कर दी गई और शेष 2 बिस्वा भूमि ही वादी के नाम पर इसी रोटेशन में खाता संख्या 141 पर दर्ज की गई। यह 8 बिस्वा भूमि वादी के स्वामित्व की भूमि थी जिसको बिलानाम करने से नवीन भू प्रबन्ध में वादी का रकबा ग्राम की आबादी भूमि में दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिसको पुनः वादी के नाम ही दर्ज कराना चाहते हैं राजस्व विभाग के कार्मिकों की भूल से एवं नामान्तकरण 440 के विपरीत जमाबन्दी में इन्द्राज करते हुए बिलानाम में दर्ज कर दिया जो अनुचित है उक्त रकबा वादी के स्वामित्व का ही था ग्राम पंचायत का इस रकबे से कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि ग्राम धूलखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 740 का मूल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ही था जिसमें विपक्षी के नाम 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज है और शेष 8 बिस्वा भूमि वादी के द्वारा आबादी में समपरिवर्तन कराने से भूमि बिलानाम आबादी में दर्ज हो गई प्रार्थी का कोई रकबा शेष नहीं है साथ ही राजस्व रेकार्ड में भूमि वर्तमान में आबादी के रूप में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है भूमि आबादी के रूप में दर्ज होने इस न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है मूल वाद खारीज फरमाया जावे।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुख्य कथन किया कि वर्तमान में भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होकर वाद पत्र में वर्णित भूमि आबादी के रूप में दर्ज है। आबादी भूमि से सम्बन्धित वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं क्षेत्राधिकार से परे होने से खारीज फरमाया जावे।



प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मुख्य कथन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मूल आराजी संख्या 740 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा था जिसके विभाजन से आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी के रूप में जमाबंदी रोटेशन 2044 से 2047 में खाता संख्या 139 पर दर्ज रेकार्ड हुई जिसमें से प्रार्थी के द्वारा 8 बिस्वा भूमि आबादी में समंपरिवर्तन कराने पर उक्त समंपरिवर्तित रकबा 8 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 440 से दर्ज किस्म भूरे.गो. के बजाय आबादी दर्ज करते हुए शेष 2 बिस्वा भूमि किस्म भूरे.गो. यथावत रखते हुए नामान्तकरण स्वीकृत हुआ तत्कालीन राजस्व कर्मियों की भूल से आगामी रोटेशन में प्रार्थी के उक्त समंपरिवर्तित 8 बिस्वा रकबे को प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं कर बिलानाम खाते में ग्राम की आबादी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया है। राजस्व रेकार्ड में ग्राम की आबादी पहले बिलानाम खाते में ही दर्ज की जाती रही जिस पर स्वामित्व ग्राम पंचायत का होता है और किसी खातेदार के द्वारा अपने खाते की भूमि में से कोई रकबा समंपरिवर्तन कराया जाता है तो उसका स्वामित्व ग्राम पंचायत का नहीं होकर संबंधित खातेदार का ही होता है। जहां तक विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा साबिक आराजी संख्या 740 का मूल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा होना अपने जवाब में अंकित किया है और इसी जवाब में आगे लिखा कि प्रार्थी के नाम 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसमें 8 बिस्वा भूमि आबादी में समंपरिवर्तन कराने से आबादी के रूप में दर्ज हो गई और शेष 2 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 4 को विक्रय कर दी गई जिससे प्रार्थी के नाम कोई भूमि शेष नहीं है और विपक्षी 1 से 3 के नाम 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार कुलिया रकबे को जोड़ने पर 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि बनती है जबकि विपक्षी द्वारा आराजी संख्या 740 का कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ही बताया गया है। इस नम्बर का कुल रकबा कितना है यह विपक्षी के लिये मायने नहीं रखता विपक्षी के खाते में जितना रकबा दर्ज है उस रकबे की सीमा तक उसका स्वामित्व है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मूलवाद में पेश किया गया है जो स्वीकार हो चुका है।

विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा अपने बहस में इस बात पर जोर दिया कि भूमि वर्तमान में आबादी के रूप में दर्ज है और उस भूमि से सम्बंधित कोई भी वाद राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता इस सम्बन्ध में विपक्षी अधिवक्ता का कथन इस प्रकरण में स्वीकार योग्य नहीं है चूंकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से सम्बंधित प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि प्रार्थी के स्वामित्व की समंपरिवर्तित भूमि जिसको राजस्व कर्मियों की भूल से आगामी रोटेशन में प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं कर ग्राम की आबादी भूमि के बिलानाम खाते में शामिल कर जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया जो नामान्तकरण संख्या 440 के विपरीत है इस गलत इन्द्राज को एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के कब्जेशुदा समंपरिवर्तित रकबे को मौके से विपरीत ग्राम की आबादी के नवीन खसरा नम्बर 1335 में सम्मिलित कर दिया गया उस इन्द्राज को दुरस्त एवं सही तरमीम कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है किसी भी खसरा नम्बर के गलत तरमीम होने या नक्शे को शुद्ध कराने हेतु वाद पत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये वो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आबादी भूमि व कृषि का कोई विवाद नहीं है और न ग्राम पंचायत की भूमि पर स्वामित्व का वाद है केवल राजस्व रेकार्ड में त्रुटी को सही करने का प्रार्थना पत्र है जिसको सुनने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 05.08.2021 को खारीज किया जा चुका है।



उपरोक्त विवरण अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मूलवाद पेश किया गया है जो इन्द्राज दुरस्ती का है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती सम्बन्धित का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। मौका स्थिति बाबत् मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो मूलवाद में सलंग्न हैं। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आबादी में सम्परिवर्तित रकबे पर प्रार्थी द्वारा आवासीय मकान व बाड़ा बना रखा एवं शेष 2 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4 को विक्रय की गई जिस पर विपक्षी संख्या 4 का मकान बना हुआ है। इससे दक्षिण की तरफ विपक्षी संख्या 1 से 3 की भूमि होकर मौके पर गेंहु की फसल काशत कर रखी है दोनो पक्ष राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार काबिज है, परन्तु राजस्व एवं भू प्रबन्ध अधिकारियों की भूल से प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी रकबा 10 बिस्वा मे से 8 बिस्वा भूमि आबादी में सम्परिवर्तन करायी जो सम्परिवर्तन रकबे को राजस्व जमाबन्दी में तो गांव की आबादी खसरा नम्बर 1335 के रकबे में शुमार कर दिया गया और मौका स्थिति को राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि के रकबे को विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 1343 में शुमार करते हुए नक्शा बढा दिया गया है। इसी तरह विपक्षी संख्या 4 को विक्रय की भूमि को मौके की स्थिति के विपरीत नक्शे में दर्शा दिया गया है। इस प्रकार राजस्व नक्शे में मौके के विपरीत तरमीम होना पाया गया है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी की पक्ष में है और अगर विपक्षी 1 से 3 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो इस प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होने की संभावना है तथा भविष्य वाद विवाद बढने की संभावना को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी संख्या 1 से 3 के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम धूलखेड़ा की आराजी संख्या 1343 में प्रार्थी के कब्जे की भूमि जिस पर प्रार्थी का मकान व बाड़ा बना हुआ है जो आराजी संख्या 1343 में उत्तरी दिशा में रास्ते से लगती हुई मौके पर स्थित है प्रार्थी के उक्त हिस्से के कब्जे व उपयोग उपभोग करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे व वादग्रस्त आराजी संख्या 1343 को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस व किसी भी तरह से अन्तरित नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Shrus*  
03.03.2022  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा